

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री बाबूदास वैष्णव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनेतकला जिला चित्तोड़गढ़ जिनकी जन्मतिथि 07.02.1960 है, प्रथम नियुक्ति तिथि 20.12.84 है। श्री बाबूदास वैष्णव द्वारा दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाहने के कारण इनको दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त किया जाता है। एवं इनकी राजकीय सेवाएँ सन्तोषजनक रही हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बाबूदास वैष्णव के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/बाबूदास/2018/15

दिनांक : 31/5/18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, चित्तोड़गढ़/उदयपुर
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, चित्तोड़गढ़
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तोड़गढ़
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनेतकला जिला चित्तोड़गढ़
6. श्री बाबूदास वैष्णव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धनेतकला जिला चित्तोड़गढ़
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री नरेन्द्र कुमार दशोरा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुरा, पंचायत समिति भैंसरोड़गढ जिला चित्तोड़गढ जिनकी जन्मतिथि 06.04.1969 है, प्रथम नियुक्ति तिथि 02.07.1990 है। श्री नरेन्द्र कुमार दशोरा द्वारा दिनांक 31.07.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाहने के कारण इनको दिनांक 31.07.2018 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त किया जाता है। एवं इनकी राजकीय सेवाए सन्तोषजनक रही है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र कुमार दशोरा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/ ~~बि.क.स.~~ /2018/13

दिनांक : 31/05/18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, चित्तोड़गढ/उदयपुर
2. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, चित्तोड़गढ
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तोड़गढ
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुरा, पंचायत समिति भैंसरोड़गढ जिला चित्तोड़गढ
6. श्री नरेन्द्र कुमार दशोरा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुरा, पंचायत समिति भैंसरोड़गढ जिला चित्तोड़गढ
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर